दैनिक
यशोभूमि
मुंबई, शनिवार, ७ अप्रैल २०१२

ब्रिटिश प्रणाली पर अब पुनर्विचार जरूरी

भारतीय संविधान का निर्माण करनेवाले महानुभावों द्वारा दीर्घ समय खर्च करके निर्मित किए गए संविधान की गणना विश्व के सबसे लंबे संविधान के रूप में की जाती है। इस संविधान में आपातकाल को छोड़कर प्रजा के मूलभूत अधिकारों की रक्षा सही रूप में की गई है, परंतु सरकार की कार्यपद्धति के निर्माण में अल्प परिवर्तन को छोड़कर ब्रिटिश पद्धति का कोरा अनुसरण मात्र है। ब्रिटेन के राजा की भांति हमने हमारे राष्ट्रप्रमुख को औपचारिक रूप में प्रमुख स्थान दिया है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजों के प्रति आदर भाव व उनसे परिचित होने के कारण उन्होंने प्रस्तुत कार्यप्रणाली अपनाई थी। प्रसिद्ध कानूनविद एम. सी. छागला ने कहा था संसदीय प्रजातंत्र की प्रणाली को पसंद करने के पीछे मुख्य कारण (१) स्वतंत्रता के पहले केंद्र व राज्यों में हमारी विधानसभाओं की कार्यवाही ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार होती थी और हम उस प्रणाली से भलीभांति परिचित थे और (२) स्वैच्छिक चुने गए एक मात्र व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान सौंपना हमें राजाशाही की याद दिलाता था।

सरकारी शासन के गिरते हुए स्तर व निरंतर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखकर अब समय आ गया है कि हम अपनी शासन प्रणाली पर विचार करें, परीक्षण करें और खुले दिमाग से संसार की अन्य प्रजातंत्रीय प्रणाली जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि के साथ हमारी प्रणाली की तुलना करें जबकि परिचितता के कारण हमने ब्रिटिश प्रणाली को अपनाया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकन संविधान के निर्माता जिसमें से अधिकांश खुद ब्रिटिश थे फिर उन्होंने अलग शासन प्रणाली क्यों अपनाई? इस संदर्भ में अमेरिकन संविधान के निर्माण के अवसर पर हुआ विचार-विमर्श का अभ्यास हमारे संविधान निर्माताओं के लिए बड़ा मार्गदर्शक हो सकता था। आज ब्रिटिश प्रणाली को ६० साल से अपनाने के बाद इस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।

ये बकवास होता जा रहा है। एक ऐसी संहिता विकसित करनी होगी जिससे कोई भी सरकार कम से कम कुछ महीनों तक अपदस्थ न की जा सके!!

अपने संविधान का निर्माण करते हुए अमेरिकन संविधान के निर्माताओं जिनमें अधिकांश खुद ब्रिटिश मूल के थे, उनको भय था कि अमेरिका जिसमें कि समय गुजरने पर यूरोप के विभिन्न देश जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल आदि देशों की प्रजा स्थलांतर कर आनेवाली थी इन सभी देशों की अलग राष्ट्रीय पहचान, अलग भाषा, संस्कृति और परस्पर हित संबंध के कारण वहां प्राय: बहुविध पक्षों का उद्भव होने की संभावना रहती और उन्हें ये भय था कि ऐसी अनेक विध पक्षों की बनी हुई सरकार संसदीय पद्धति से चलेगी तो वो अस्थिर अथवा कमजोर होने की पूर्ण संभावना रहेगी जिसे बहुधा राजनेता अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए इस्तेमाल करेंगे और शायद स्वायत्तता की मांग भी करेंगे। इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने एक अलग पक्ष पद्धति पर जोर दिया जिसमें सरकार के कार्यकारी अधिकारी का चुनाव जनता सीधे करे और चुनाव के पश्चात सरकार की स्थिरता बनी रहे। पिछले ६० सालों के हमारे अनुभव ने उनके इस भय को सच कर दिया है। जबकि प्रारंभ में २५ वर्षों तक हमने एक ही पक्ष (कांग्रेस) को केंद्र में व अधिकांश राज्यों में शासन करते देखा, पर समय गुजरने के साथ हमने अधिकांश राज्यों में प्रांतीय/भाषीय और जातीय आधार पर बहुसंख्य पक्षों का उद्भव होते देखा है जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्रप्रदेश में तेलगु देशम, डी. एम.के. तामिलनाडु में, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, पंजाब में अकाली दल, नेशनल कांफ्रेन्स व पी. डी. पी. कश्मीर में, आसाम में आसाम गण परिषद, उड़ीसा में बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, नागालैंड में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट, मणिपुर पीपुल्स पार्टी मणिपुर में, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा में, इसके अलावा जाति आधारित पक्ष जैसे रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी यू. पी. में व बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। (जारी)

जशवंत बी. मेहता

('येस प्रेसीडेन्ट' लेख का संशोधित प्रारुप)